<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3058/2007</u>

सुयश नोएल रंगा

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय और आदेश की घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें। दिनाँक: 29-4-2009

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3058/2007

याचिकाकर्ता:- सुयश नोएल रंगा, उम्र लगभग 23 वर्ष,

पिता: प्रफुल कुमार रंगा, निवासी: प्रा.स्वा.के. (पी.एच.सी.) चिक्खालाकासा के समीप, दल्लीराजहरा , जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) ।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव,

आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, द्वारा: अध्यक्ष, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिम्स), द्वारा: अध्यक्ष (डीन), छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस

जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, द्वारा: अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य

अनुसूचित जनजाति आयोग, 61, जलविहार कॉलोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

5. जिलाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित:- याचिकाकर्ता की ओर से – श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी की ओर से –श्री आलोक बक्शी, राज्य के शासकीय अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय और आदेश

(यह निर्णय और आदेश 29 अप्रैल 2009 को पारित किया गया)

1. यह याचिका प्रस्तुत कर, याचिकाकर्ता दिनांक 09-04-2007 को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक - पी/6) की वैधानिकता एवं वैधता को चुनौती देता है, जिसके द्वारा: (i) याचिकाकर्ता के पक्ष में "डामरिया" जाति के आधार पर जारी की गई अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है; (ii) छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिम्स), बिलासपुर के अध्यक्ष (डीन) को निर्देशित किया गया है कि "डामरिया" जाति प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को आवंटित एम.बी.बी.एस. सीट को निरस्त किया जाए; तथा (iii) कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि याचिकाकर्ता एवं उस प्राधिकारी के विरुद्ध, जिसने याचिकाकर्ता के पक्ष में झूठा जाति प्रमाण पत्र जारी किया है, नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

याचिकाकर्ता, दिनांक 20-04-2007 को जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, रायपुर के सदस्य सचिव एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक - पी/7) को भी

चुनौती देता है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिम्स), बिलासपुर के अध्यक्ष (डीन) को दिनांक 09-04-2007 के आदेश के पैरा 7.2 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्यों का संक्षेप में विवरण, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार है: याचिकाकर्ता स्वयं को अनुसूचित जनजाति "डामरिया" का सदस्य बताते हुए, जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी, डोंडी लोहरा, जिला दुर्ग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया एवं विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात्, उक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जो अनुलग्नक – पी/1 से स्पष्ट होता है। उक्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया।

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ यह शिकायत की गई कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित नहीं है और उसने जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त किया है। उक्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा जांच की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा मांगी गई सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस बीच, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भी एक अन्य जांच प्रारंभ की गई, जिसमें यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य "डामरिया" जाति से संबंधित हैं, जैसा कि आदेश दिनांक 10-01-2007 (अनुलग्नक – पी/4) में स्पष्ट किया गया है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच कर रही थी, ने याचिकाकर्ता को 26-02-2007 को कुछ दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश, 15-02-2007 को जारी एक आदेश पत्र (अनुलग्नक – पी/5) के माध्यम से दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उक्त पत्र के अनुसरण में, याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ और दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे सुनवाई का कोई अवसर या लिखित जवाब (उत्तर) प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया और 09-04-2007 को आदेश (अनुलग्नक – पी/6) पारित किया गया, जिसमें यह टिप्पणी की गई कि "अप्रैल 1952 के शा. उ. बुनियादी स्कूल, डोंडी का दाखिल-खारिज पंजी (रजिस्टर)" (संक्षेप में "विद्यालय पंजी (विद्यालय

पंजी (स्कूल रजिस्टर)), 1952") में याचिकाकर्ता के पिता की जाति "ईसाई" के रूप में दर्ज है, इसलिए याचिकाकर्ता को "डामरिया" जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हक नहीं है, और तत्पश्चात 20-04-2007 का आदेश (अनुलग्नक – पी/7) पारित किया गया जैसा कि इस निर्णय के पैरा 1 में उल्लिखित है। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. याचिकाकर्ता के पक्ष में उपस्थित अधिवक्ता श्री कोशी ने तर्क प्रस्तुत किया कि केवल विधि प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ एक अज्ञात व्यक्ति की शिकायत पर जांच प्रारंभ की गई; हालांकि, याचिकाकर्ता ने जांच प्रक्रिया में भाग लिया और अपने तर्कों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए। इस बीच, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने जांच की और पाया कि याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य "डामरिया" जाति से संबंधित हैं, जो एक अनुसूचित जनजाति वर्ग है, और जाति प्रमाण पत्र सही रूप से जारी किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता के पक्ष में उपस्थित अधिवक्ता श्री कोशी ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद केवल याचिकाकर्ता को फिर से परेशान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पुनः जांच की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए और समिति द्वारा निर्देशित समय पर उपस्थित भी हुआ। हालांकि, उक्त समिति ने बिना सुनवाई का कोई अवसर दिए, विधिविरुद्ध, मनमानी तरीके से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किए। अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि समिति द्वारा इस आलोच्य निष्कर्ष तक पहुँचना स्पष्ट रूप से मनमानी और मस्तिष्क की अनुप्रयोगता की कमी का उदाहरण है। विद्यालय पंजी (विद्यालय पंजी (स्कूल रजिस्टर)), 1952 (अनुलग्नक पी/8) से यह प्रतीत होता है कि कॉलम संख्या (नंबर) 4 (जाति या धर्म) में याचिकाकर्ता के पिता का "धर्म", "ईसाई" के रूप में दर्ज है और "जाति" के रूप में "डामरिया" उल्लेखित है।

7. इसके विपरीत, राज्य के पक्ष में उपस्थित सरकारी अधिवक्ता श्री बख्शी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की जाति के संबंध में जांच की शुरुआत डोंडी लोहरा के पंचायत प्रतिनिधि बलराम ढांगर के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसे

कलेक्टर के पास जांच के लिए भेजा गया था। जांच नियमों के अनुसार की गई है और याचिकाकर्ता के पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 21-06-2005 (अनुलग्नक – आर/1) कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत की गई। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने मामले को विधि के अनुसार आगे बढ़ाया। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष कोई दस्तावेज़ या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, जिसमें याचिकाकर्ता के दादा और पिता की जाति "डामरिया" के रूप में दर्ज हो। जहां तक सुनवाई का अवसर न दिए जाने का प्रश्न है, यह प्रस्तुत किया गया कि 26-02-2007 को याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष उपस्थित हुआ, दस्तावेज़ प्रस्तुत किए और प्रक्रियाधीन कार्यवाही के आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो अनुलग्नक – आर/2 से स्पष्ट है। दिनांक 09-04-2007 और 20-04-2007 के आदेश नियमों के अनुसार पारित किए गए हैं।

8. मैंने पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्क सुनें, अभिवचनों और इससे जुड़े दस्तावेज़ों की समीक्षा की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि "डामरिया" जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय में आती है। विद्यालय पंजी (विद्यालय पंजी (स्कूल रजिस्टर)), 1952 में याचिकाकर्ता के पिता, अर्थात् प्रफुल कुमार, पिताजी गोरधन को "ईसाई" धर्म और "डामरिया" जाति से संबंधित दिखाया गया है। आलोच्य आदेश, अर्थात अनुलग्नक – पी/6, जो उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित किया गया है, में कहा गया है कि विद्यालय पंजी (विद्यालय पंजी (स्कूल रजिस्टर)), 1952 में याचिकाकर्ता के पिता की जाति "ईसाई" के रूप में दर्ज है और उसी आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया।

10. दस्तावेज़ों, अर्थात् विद्यालय पंजी (विद्यालय पंजी (स्कूल रजिस्टर)), 1952 की समीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि उक्त रजिस्टर में याचिकाकर्ता के पिता का नाम छात्र के रूप में प्रफुल कुमार, पिता गोरधन के के सामने कॉलम संख्या 4 यानी "जाति या धर्म" के अंतर्गत धर्म के रूप में "ईसाई" उल्लेखित है और धर्म के नीचे जाति के रूप में विशेष रूप से "डामरिया" दर्ज है। यह न तो किसी पक्ष का दावा है कि विद्यालय पंजी (स्कूल रजिस्टर), 1952 में कोई छेड़छाड़ की गई है। और यह भी कि, "ईसाई" को जाति नहीं

माना जा सकता, क्योंकि यह एक धर्म है। छत्तीसगढ़ राज्य में कई अनुसूचित जनजातियाँ ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुकी हैं और उन्हें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत दी जाने वाली संवैधानिक सुविधाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों के रूप में ही माना जाता है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ के द्वारा **प्रिंसिपल, गुंटूर मेडिकल कॉलेज, गुंटूर एवं अन्य विरुद्ध वाई. मोहन राव**[1] के प्रकरण में यह अवधारित किया गया है:

> "7. इस निर्णय पर आधारित तर्क, उन मामलों में भी समान रूप से लागू होती है जहाँ किसी व्यक्ति के माता-पिता हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और वह उनके धर्म परिवर्तन के बाद जन्मा है, और फिर जब वह पुनः हिंदू धर्म अपनाता है, तो उसके माता-पिता जिस जाति से पहले संबंधित थे, उसके सदस्य उसे अपने बीच स्वीकार करते हैं। यह जाति के सदस्य पर निर्भर है कि वह किसी व्यक्ति को अपनी जाति में शामिल करें या नहीं। चूंकि जाति व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है जो अपने नियमों और विनियमों द्वारा शासित होती है, इसलिए यदि उसके नियम और विनियम इसे अनुमति दें, तो वह एक नए सदस्य को शामिल कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे वह किसी मौजूदा सदस्य को निकाल सकती है। किसी व्यक्ति को जाति का सदस्य बनाने के लिए केवल एक आवश्यकता है—वह व्यक्ति जाति के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाए, क्योंकि जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्णस्वामी अय्यंगर ने दुर्गाप्रसाद राव विरुद्ध सुदर्शनस्वामी, एआईआर 1940 मद्रास 513 (**AIR** 1940 **Mad** 513) में कहा था, "जाति के कल्याण या संरचना से संबंधित मामलों में, जाति स्वयं सर्वोच्च न्यायधीश होती

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] **AIR** 1976 **SC** 1904

है।" (उल्लेखित/बल दिया)। इसलिए यह देखा जाएगा कि हिंदू धर्म में परिवर्तित होने पर, एक ईसाई धर्म में परिवर्तित व्यक्ति अपने माता-पिता की जाति का सदस्य स्वतः या स्वाभाविक रूप से नहीं बनता, बल्कि उसे केवल तभी जाति का सदस्य माना जाएगा, जब जाति के अन्य सदस्य उसे स्वीकार करें और उसे अपने समुदाय में शामिल करें।"

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायधीशों की पीठ ने **कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति विकास एवं अन्य**[2] में निम्नलिखित टिप्पणी की: *"संविधान लागू होने से पहले, विद्यालय पंजी (स्कूल रजिस्टर) में प्रविष्टियाँ, जाति की स्थिति के उद्घोषण में महत्वपूर्ण प्रमाणिकता प्रदान करती हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का जातीय श्रेणीकरण, सार्वजनिक अभिलेख में की गयी सभी प्रविष्टियों में परिलक्षित होता है। इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि जाति की स्थिति का निर्धारण विद्यालय एवं महाविद्यालय के अभिलेख सहित उन सभी प्रविष्टियों से होता है।"* पैरा 15 में आगे यह टिप्पणी की गई: "15..... जो समिति इसके सामने प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम होती है, जब वह तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज करती है, तो उसे लागू होना चाहिए जब तक कि तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की सीमाओं के अधीन, किसी उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा में यह दोषपूर्ण न पाया जाए। जब समिति सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करती है और निष्कर्ष दर्ज करती है, तो यद्यपि अपीलीय न्यायालय के रूप में एक अन्य दृष्टिकोण संभव हो सकता है, यह निष्कर्ष को पलटने का आधार नहीं होता। न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या समिति ने उसके समक्ष प्रस्तुत सभी सुसंगत सामग्री पर विचार किया है या उसने उन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जिनके आधार पर समिति ने अंततः निष्कर्ष दर्ज किया। प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।"

13. **गायत्रीलक्ष्मी बापू राव नागपुरे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**[3] में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[2] (1994) 6 **SCC** 241 [3] (1996) 3 **SCC** 685

"17.....यदि किसी वास्तविक उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से नकारा जाता है, तो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए, जाति प्रमाण पत्र देने या अस्वीकार करने से पहले अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।"

14. विधि के सुस्थापित सिद्धांत को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, जहाँ उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उसके समक्ष प्रस्तुत सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने में विफल रहा है और सुसंगत तथ्यों पर अपना मस्तिष्क लागू करने में भी विफल रहा है, यह स्पष्ट है। निस्संदेह, विद्यालय पंजी (स्कूल रजिस्टर), 1952 में याचिकाकर्ता के पिता का धर्म "ईसाई" के रूप में और जाति "डामरिया" के रूप में दर्ज है, जिसे राष्ट्रपति आदेश में अनुसूचित जनजाति (**ST**) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

15. उपरोक्त सभी तथ्यों और कारणों के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करके त्रुटि की है।

अतः, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित दिनांक 09-04-2007 का आलोच्य आदेश (अनुलग्नक **P**/6) और जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, रायपुर के सदस्य सचिव एवं आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 20-04-2007 का आदेश (अनुलग्नक **P**/7) निरस्त किए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. फलस्वरूप, याचिका को स्वीकार किया जाता है। वाद-व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं है ।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Prashant Kumar